न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 19 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीराम पुत्र केहराराम उम्र 70 वर्ष जाति खत्री निवासी खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1 मोहन पुत्र मगा उम्र 65 वर्ष
2.फगलूराम पुत्र हीराराम उम्र 70 वर्ष
3 गणेशाराम पुत्र हीराराम उम्र 55 वर्ष
4.बलवन्ताराम पुत्र मगाराम का.मु.
4/1हरीराराम पुत्र बलवन्ताराम उम्र 25
4/2सुरेश पुत्र बलवन्ता उम्र 22 वर्ष
4/3अशोक पुत्र बलवन्ता उम्र 20 वर्ष
4/4सवाई पुत्र बलवन्ता उम्र 22 वर्ष
4/5जुगताराम पुत्र बलवन्ता उम्र 16 वर्ष
4/6हितेश पुत्र बलवन्ता उम्र 14 वर्ष
उतरदाता संख्या 4/5 व 4/6 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता राधादेवी पत्नी बलवन्ता
4/7राधादेवी पत्नी बलवन्ता उम्र 45 वर्ष
5. जीवाराम पुत्र मदरा उम्र 65 वर्ष
6.सरवणा पुत्र मदरा उम्र 60 वर्ष
7.मु.पारवती पत्नी मदरा उम्र 85 वर्ष जाति मेघवाल निवासी खरड़ पटवार क्षेत्र धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।
8.ठाकराराम पुत्र खंगाराराम उम्र 60 वर्ष
9.पूनमाराम पुत्र प्रभुराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ताजाणियों की ढाणी तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर
10.चूनाराम पुत्र केहराराम उम्र 80 वर्ष
11.डूंगराराम पुत्र केहराराम उम्र 70 वर्ष जाति खत्री निवासी खरड़ तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।
12.श्रीमान तहसीलदार धौरीमन्ना।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 306/2012 बअनवान श्रीराम वगैरा बनाम मोहन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 19.08.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/अपीलांट व उतरदाता संख्या 10 व 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 575 रकबा 49.19 बीघा ग्राम खरड़ पटवार क्षेत्र धौरीमन्ना में आया हुआ है जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 584/1 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता हैं। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत एवं जोत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट अपीलांट को इस रास्ते पर जाने से रोक रहा है, अवरोध पैदा कर रहे हैं व आपसी रंजिश के कारण रास्ता पर चलने से मना कर रहे इस कारण रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण को नोटिस जारी किये गये तथा विप्रार्थीगण की तलबी किये बिना ही दिनांक 15.07.2015 को अपीलांट का आवेदन धारा 251(क) में निर्माण की लागत भुगतान का कोई प्रावधान नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण के नाम सम्मन जारी किये गये तथा उनकी तलबी किये बिना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं द्वारा मौके पर जाकर दोनो पक्षों के रूबरू मौका देखा जाकर मौका फर्द पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया कि खसरा संख्या 575 रकबा 49.19 बीघा श्रीराम वल्द केहरा, चूना डूगरा पिता केहरा में खसरा संख्या 585/1 किस्म गैर मुमकिन सड़क से जाने हेतु खसरा संख्या 573/2 के सहारे खसरा संख्या 584/1 ही इकलोता विकल्प है जो सलंग्न नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम है व सुविधाजनक है विप्रार्थीगण के सेढे से रास्ता प्रस्तावित किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज कर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट का आवेदन पत्र को विधि विरूद्ध जाकर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वाहन दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने व पैर में गम्भीर फ्रेक्चर होने के कारण अपने ईलाज में व्यस्त रहा तथा बहुत लम्बे समय तक पूर्ण रूप से बैडरेस्ट पर रहा जिस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा न ही न्यायालय में जा सका इस कारण अपीलांट को आवेदन खारिज होने की कोई जानकारी नहीं हो पाई तथा अब अपीलांट के पैर में कुछ सुधार होने पर न्यायालय में जाकर अपने प्रकरण के बारे में पता किया तो जानकारी हुई जिस पर अपीलांट दिनांक 11.06.2020 को आलोच्य आदेश की नकले प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अपीलांट के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है इसलिए कारण को संतोषजनक मानते हुए तथा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि फर्द मौका दिनांक 17.12.2013 के अनुसार "आवेदक/अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा संख्या 575 रकबा 49.19 बीघा मौजा खरड़ पटवार हल्का धौरीमन्ना में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण रास्ता या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुविधा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है लेकिन मौका फर्द दिनांक 17.12.2013 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि खसरा संख्या 573/2 के सहारे सड़क की तरफ 10 गुणा 10 फीट में पक्की नींव भरी हुई है जिसकी अनुमानित लागत रू 10,000 होगी। प्रस्तावित रास्ता की भूमि 10 गुणा 10 नींव को छोड़कर शेष खाली भूमि है। अतः अपीलांट को न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जाना न्यायोचित है इसलिए 10 गुणा 10 नींव को छोड़कर नींव के किनारे से अपीलांट को अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 584/1 में 06 बिस्वा भूमि सर्वोतम एवं न्यूनतम रास्ते में आने के कारण दी जानी उचित है। जहां तक रास्ते में पडने वाले किसी निर्माण का प्रश्न है तो इस बाबत राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 में प्रतिकर के निर्धारण में इसको समाहित किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इस नियम 70(2) के अनुसार "अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, यदि खड़े वृक्षों, फसलों का निर्माण(स्ट्रक्चर) को हटाने के कारण कोई राशि वास्तविक हानि का नुकसान होता है तो उसे भी अवधारित किया जाएगा। मौके पर 10 गुणा 10 वर्गफीट में भरी नींव की अनुमानित कीमत 10000 रू मौका फर्द में अंकित की है। इसे हटाने का खर्चा भी शामिल करना न्यायसंगत है इसलिए इसकी वास्तविक कीमत 15000 रू अवधारित करते हुए रास्ते के अधीन वाली 06 बिस्वा सिंचित भूमि की 49000 रू/बीघा की दर से दुगना प्रतिकर रूपये 29400 अवधारित करते 49000 रू प्रति बीघा हुए कुल प्रतिकर राशि रू 44400 अवधारित की जाती है। उपरोक्त विवेचन एवं मौका रिपोर्ट के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 306/2012 बअनवान श्रीराम वगैरा बनाम मोहन वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 17.12.2013 के अनुसार अपीलांट को रेस्पोडेंट को अपनी जोत तक आवागमन हेतु भूमि खसरा संख्या 584/1 में से निर्दिष्ट **परिशिष्ट"अ"** अनुसार 06 बिस्वा भूमि रास्ता में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धौरीमन्ना निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान कर राजस्व रिकॉर्ड मे राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते का अमल दरामद कर पालना करें। परिशिष्ट "अ" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner